सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-430/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 15 अक्टूबर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-देवगांव

पुलिस मुठभेड़ में चोरी की 06 अदद मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट तथा अवैध तमंचा,कारतूस के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित/इनामियाँ अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र/अवैध शराब माफियाओ पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 14/10/2020 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव ,उ0नि0 अभिषेक सिहं मय हमराहियान द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन करते हुए कस्बा गोसाईगंज में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबीर ने बताया कि एक व्यक्ति चोरी की मो0सा0 हीरो होण्डा सी0डी0 डिलक्स से जिवली की तरफ से गोसाईगंज की तरफ आ रहा है इस सूचना उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराहियान को उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए जिरिकपुर मोड़ पर पहुँच कर वाहन चेकिंग करने लगे । इसी दौरान एक ब्यक्ति मो0सा0 से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रूकने का ईशारा किया गया तो नही रुका । पुलिस से घिरता देख अपने पास लिये तमन्चे से जान मारने की नियत से लक्ष्य कर पुलिस पार्टी के उपर फायर किया जिस पर पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए सावधानी पूर्वक घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम **जितेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू पुत्र विशेसर यादव सा0 कुड़ियर थाना बरदह जनपद-आजमगढ़** बताया। मौके पर तलाशी पर पकडे हुए ब्यक्ति के पास से एक अदद तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस तथा एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सी0डी0 डिलक्स नम्बर- UP67F0417 बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में जांच पड़ताल किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू थाना बरदह का हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्त से गहराई से पूछताछ किया गया तो बताया कि मै व मेरा साथी **पिन्टू सेठ पुत्र रामनाथ सेठ निवासी श्रीकान्तपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़** मिलकर मोटर साईकिल भिन्न भिन्न थाना क्षेत्र मे चोरी कर लाते है जिसे हम दोनो बेच कर जो पैसा मिलता है उससे अपना जिवकोपार्जन करते है। कुछ मोटरसाईकिल मेरा दोस्त पिन्टू सेठ काट कर पार्ट टू पार्ट बेचता है जो पैसा इसमे भी मिलता है हम दोनो आपस मे बराबर बराबर ले लेते है। आज मै इस चोरी की मोटर साईकिल को लेकर पिन्टू के घर जा रहा था और कुछ चोरी की मोटर साईकिल बेचने व काटने के लिए पिन्टू सेठ के घर के सामने दीवाल मे सटाकर बोरे से ढ़क कर रखा है । इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को साथ लेकर पिन्टू सेठ के घर ग्राम श्रीकान्तपुर पहुचे। जहां घर पर बैठा एक व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर भागने का प्रया स किया परन्तु पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। जिससे मौके पर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम पिन्टू सेठ पुत्र रामनाथ सेठ निवासी श्रीकान्तपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ बताया। पिन्टू सेठ से पुछताछ करने पर उसकी निशादेही पर उसके घर से चोरी की पाँच मो0सा0 बरामद हुआ। अभियुक्त पिन्टू सेठ के घर के अन्दर कमरे से मोटर साईकिल का कटा हुआ निम्न पार्ट क्रमशः टंकी-03 अदद हीरो होण्डा , टंकी-हीरो 01 अदद, टंकी-सुपर टंकी स्पेलेण्डर 01 अदद , टंकी-प्लेटिना 01 एक अदद , इंजन हीरो होण्डा नं0 (1) 03L15M24529 (2) 02L21M157383 (3) D10E260880 (4)इंजन-हीरो HA11EKG9L04497 व सिलेन्सर भिन्न मोटर साईकिलो की 6 अदद, टायर सहित पहिया-06 अदद , रिंम-03 अदद , हैण्डिल-02 अदद , लेग गार्ड-03 अदद, साकर तीन अदद आगे का व तीन अदद पीछे का कुल-06 अदद, सीट-02 अदद , एक अदद चेचिस नं0-03M16C03225 बरामद हुआ। बरामद मोटर साईकिल व पार्ट के सम्बन्ध मे वैध कागजात मांगा गया तो बताया कि यह सब चोरी की मोटर साईकिल व पार्ट है मेरे पास इसका कोई कागजात नही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-234/2020 धारा 41/411/413/414/420/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.जितेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू पुत्र विशेसर यादव निवासी ग्राम कुड़ियर थाना बरदह जनपद आजमगढ।

2.पिन्टू सेठ पुत्र रामनाथ सेठ निवासी ग्राम श्रीकान्तपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-234/2020 धारा 41/411/413/414/420/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ।

अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र विशेसर यादव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं-1288/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0सं-1287/08 धारा 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं-1286/08 धारा 307 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
4. मु0अ0सं-66/08 धारा 379/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
5. मु0अ0सं-907/08 धारा 379/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
6. मु0अ0सं-998/08 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
7. मु0अ0सं-1247/08 धारा 379/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
8. मु0अ0सं-273/08 धारा 406/411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।
9. मु0अ0सं-364/04 धारा 323,325 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।
10. मु0अ0सं-755/08 धारा ¾ गुण्डा एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।
11. मु0अ0सं-230/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बरदह जनपद आजमगढ।
12. मु0अ0सं-85/14 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बरदह जनपद आजमगढ।
13. मु0अ0सं0-234/2020 धारा 41/411/413/414/420/307 भादवि व 3/25 A ACT थाना देवगांव आजमगढ

बरामदगी

1. छः अदद चोरी की मोटरसाइकिल

1. हीरो होण्डा सी0डी0 डिलक्स नम्बर -UP67F0417,चेचिस नं0 मिटा ,इंजन नं0 HA11EAA9B21136
2. हीरो H F डिलक्स - नम्बर UP 65 DF 9729 ,चेचिस नम्बर MBLHA11EUC9K11201,इंजन नं0 MA11EEC9K17409
3. सूजकी मैक्स 100 नम्बर -अस्पष्ट , चेचिस नम्बर 9807F067856 इंजन नम्बर –अस्पष्ट
4. यमहा क्रक्स नम्बर -UP 50 K 9047 , चेचिस नम्बर 04D5TS325573 ,इंजन नम्बर – अस्पष्ट
5. TVS स्टार सिटी नम्बर -P14A640 ,चेचिस नम्बर MD625NF1383H65667,इंजन नम्बर – अस्पष्ट
6. बजाज डिस्कवर नम्बर -UP 65Z8134,चेचिस नम्बर-DSVBLF08115,इंजन नम्बर-DSGBF08138

2. मोटरसाइकिल का कटा हुआ निम्न पार्ट

टंकी-03 अदद हीरो होण्डा , टंकी-हीरो 01 अदद, टंकी-सुपर टंकी स्पेलेण्डर 01 अदद, टंकी-प्लेटिना 01 एक अदद, इंजन हीरो होण्डा नं0 **(1)**-03L15M24529,**(2)**02L21M15738,3 **(3)**D10E260880,**(4)**इंजन हीरो HA11EKG9L04497 , व सिलेन्सर भिन्न मोटर साईकिलो की 6 अदद, टायर सहित पहिया-06 अदद , रिंम-03 अदद , हैण्डिल-02 अदद , लेग गार्ड-03 अदद, साकर-तीन अदद आगे का व तीन अदद पीछे का कुल 06 अदद, सीट-02 अदद , एक अदद चेचिस नं0 03M16C03225।

3. अवैध तमंचा व कारतूस

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शंकर कुमार यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
2. उ0नि0 अभिषेक सिहं थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
3. का0 पंकज सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ।
4. का0 मनोज यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ।